

राजभवन, लखनऊ।

उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज के कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु आवेदन आमंत्रित करने के संबंध में सूचना

विज्ञापन संख्या : ई-8924/2023

दिनांक : दिसम्बर 28, 2023


उत्तर प्रदेश राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय, प्रयागराज, जो कि उत्तर प्रदेश राज्य राजर्षि टण्डन मुक्त विश्वविद्यालय अधिनियम, 1999 (अधिनियम संख्या 10, 1999) के अन्तर्गत स्थापित है, के कुलपति की नियुक्ति, उक्त विश्वविद्यालय की प्रथम परिनियमावली, 2002 के परिनियम 03.02 के अधीन गठित समिति द्वारा अनुसंशित पैनल में से कुलाधिपति के द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

कुलपति का कार्यकाल पदभार ग्रहण करने के दिनांक से 03 (तीन) वर्ष की अवधि के लिए होगा। अन्य शर्तें विश्वविद्यालय के अधिनियम एवं परिनियमानुसार होगी।

चूंकि कुलपति विश्वविद्यालय का प्रधान कार्यपालक और शैक्षणिक अधिकारी होता है, इसलिये अभ्यर्थी में उच्च कोटि की क्षमता, सत्यनिष्ठा, नैतिकता एवं संस्थागत वचनबद्धता होनी चाहिए। अभ्यर्थी को विख्यात शिक्षाविद होने के साथ-साथ ठोस प्रशासनिक अनुभव भी होना चाहिए।

कुलपति पद के लिए इच्छुक अभ्यर्थी राज भवन की वेबसाइट "www.upgovernor.gov.in" पर उपलब्ध निर्धारित प्रारूप में अपना आवेदन दिनांक 30 जनवरी, 2024 तक केवल ऑन लाइन (On Line) प्रेषित कर सकते हैं।

निर्धारित तिथि के बाद प्राप्त होने वाले किसी भी आवेदन पर विचार नहीं किया जाएगा।


अपर मुख्य सचिव, श्री राज्यपाल,
उत्तर प्रदेश।